//श्री//

निगरानी प्रकरण क्रमांक ........../पी.बी.आर/2017.

PBR/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/4392 प्रस्तुती दिनांक ...../11/2017.

## श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर म.प्र. ग्वालियर के न्यायालय में।

गिरधारीलाल पिता नारायण
मृतक तर्फे वारिस

1. माँगीलाल पिता गिरधारीलाल,
निवासीः- ए.बी. रोड, यशवंत नगर (ग्वाड़ा),
तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

2. ज्ञानी बाई पति स्व. श्री बद्रीलाल पाटीदार,
निवासीः- ग्राम बिचौली, तहसील महू,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

3. माँगीबाई पति स्व. श्री बाबूलाल पाण्डे,
निवासीः- ग्राम रंगवासा, तहसील राऊ,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

4. रामप्यारी बाई पिता नंदकिशोर पाटीदार,
निवासीः- ए.बी. रोड, यशवंत नगर (ग्वाड़ा),
तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

5. शान्तिबाई पति लक्ष्मीनारायण हातिया,
निवासीः- ग्राम रंगवासा, तहसील राऊ,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

6. सावित्री बाई पति वासुदेव पाटीदार,
निवासीः- ग्राम गवली पलासिया,
तहसील महू, जिला इन्दौर (म.प्र.)

7. मनोरमा बाई पति विष्णु प्रसाद पाटीदार,
निवासीः- ग्राम तिल्लौर खुर्द, तहसील खुडैल,
जिला इन्दौर (म.प्र.)

.......प्रार्थीगण

श्री ........ द्वारा आज दि. 13.11.17 प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-11-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
प०दि० 15-11-17

13/11/17

विरुद्ध

अविरत........2

1. बावरिया पिता भलजी मृतक (कोई वारिस नही)
2. रालिया पिता भलजी मृतक तर्फे वारिस
   सुखराम पिता रालिया (पुत्र)
   निवासीः– ग्राम मांडव–सिंगोडी, तहसील नालछा,
   जिला धार (म.प्र.)
   बाबु पिता भलजी मृतक तर्फे वारिस
3. थावरिया पिता बाबू
   सोहन सिंह पिता बाबू मृतक तर्फे वारिस,
4. रतन सिंह पिता सोहनसिंह
5. दिलीप पिता सोहनसिंह
6. दिनेश पिता सोहनसिंह
7. सरजू बाई पति सोहनसिंह
   सभी निवासीः– ग्राम मांडव–सिंगोडी, तहसील नालछा,
   जिला धार (म.प्र.)
8. नानूराम पिता बाबू,
9. छीतर पिता बाबू,
10. सुकाबाई पति स्व. अमरसिंह,
11. वीरू पिता स्व. अमरसिंह,
    निवासीः– ग्राम मांडव–सिंगोडी, तहसील नालछा,
    जिला धार (म.प्र.)
12. पांगलाल पिता बाबू (मृतक, वारिसों की जानकारी नहीं)
13. भागोड़ी पिता बाबू,
14. नानीबाई पति बाबू,
15. टन्टूबाई बेवा बावारिया (मृत लाऔलाद फौत)
16. सुखराम पिता रालिया,
    सभी निवासीः– ग्राम मांडव–सिंगोडी, तहसील नालछा,
    जिला धार (म.प्र.)

अविरत..........3

17. शकुन्तलाबाई पति अशोक पाटीदार,

18. प्रेमाबाई पति जगदीश पाटीदार,

19. शोभाबाई पति मोहनलाल पाटीदार,

20. मधुबाई पति महेश,

21. गंगाबाई पति पूनमचंद

क्रमांक 17 से 21 सभी निवासीः– ए.बी. रोड,

यशवंत नगर (ग्वाड़ा), तहसील महू जिला इन्दौर (म.प्र.)

......प्रत्यर्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भु–राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत

मानतीय महोदय

श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय, इन्दौर जिला इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 40/अपील/2016–17 में दिनांक 18/10/2017 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह निगरानी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है :–

## प्रकरण के तथ्य

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम यशवंत नगर तहसील महू जिला इन्दौर स्थित सर्वे नंबर 310/5 रकबा 6.353 हैक्टेयर एवं सर्वे नंबर 310/8 रकबा 2.044 हैक्टेयर की भूमि के संबंध में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय के द्वारा धारा 170(क) का आवेदन पत्र प्रत्यर्थीगण के द्वारा प्रस्तुत किये जाने के आधार पर प्रकरण क्रमांक 1/अ–23/76–77 का पंजीबद्ध करते हुए प्रकरण में आदेश पारित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी महोदय के आदेश के विरूद्ध राजस्व मंडल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत होने पर प्रकरण क्रमांक 223/I/1978–79 का पंजीबद्ध किया गया। राजस्व मंडल के समक्ष उभयपक्षों के मध्य राजीनामा होने के आधार पर प्रकरण समाप्त किया गया। ततपश्चात् छानबीन समिति के द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर पुनः प्रकरण स्वप्रेरणा में लिया गया तथा प्रकरण क्रमांक 20/अ–23/1981–82 दर्ज करते हुए तत्कालिन अनुविभागीय

अविरत..........4

**न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर**

**अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ**

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/इंदौर/भू.रा./2017/4392

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 2-4-2019 | पकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकगण द्वारा यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है । उभय पक्ष दिनांक 30-5-2019 को सुनवाई हेतु आयुक्त के समक्ष उपस्थित हों । उभय पक्ष को सूचना दिया जाये ।<br>अध्यक्ष | |